माननीय प्रबन्ध परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 02.09.2011 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 02.09.2011 को प्रातः 11:30 बजे उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन, अष्टम तल, लखनऊ के सभाकक्ष मे सम्पन्न हुई ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1	डा0 अरविन्द कुमार बख्शी, कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री सुशील कुमार, प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	सदस्य
3	श्री अरविन्द नारायण मिश्र, विशेष सचिव, नामित प्रमुख सचिव वित्त	सदस्य
4	डा0 वी0एम0 शुक्ला नामित प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
5	डा0 आर0 के0 मित्तल, ए0डी0जी0, आई0सी0ए0आर	सदस्य
6	डा0 एम0पी0 सिंह, अपर कृषि निदेशक नामित निदेशक कृषि	सदस्य
7	श्री मनोज कुमार, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
8	श्री शिव शंकर राठी, कृषि उधोगपति	सदस्य
9	डा0 के0सी0 सिंह, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
10	श्री आशाराम, वित्त नियंत्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की ।

माननीय प्रबन्ध परिषद के नव नियुक्त सदस्यो का स्वागत किया गया तत्पश्चात डा0 ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त पत्र को माननीय कुलपति जी द्वारा सभी माननीय सदस्यों को पढकर सुनाया गया । माननीय सदस्यों द्वारा पत्र का संज्ञान लिया गया ।

यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय मे लीगल से सम्बन्धित कार्य करने के लिए लीगल कमेटी मे एक सेवानिवृत्त जज रखा जाए जो समय–समय पर विश्वविद्यालय मे जितने भी बिन्दु हो उन को देखे तथा विश्वविद्यालय को सलाह भी दे, विश्वविद्यालय मे कुछ ऐसे केस होते हैं जो चारो विश्वविद्यालय के एक समान होते हैं । अतः चारो विश्वविद्यालय की एक सैल बना दी जाए और उन पर होने वाला व्ययभार संयुक्त रूप से चारो विश्वविद्यालय वहन करे । यह भी अवगत कराया गया कि चारों विश्वविद्यालयों का लखनऊ मे कोई लाईजनिंग आफिस नही है । परिणाम स्वरूप समय समय पर शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों पर समय से कार्यवाही नही हो पाती है । इस हेतु प्रदेश के चारो विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से एक लाईजनिंग आफिस/गैस्ट हाउस बनाये जिसमे विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी विश्वविद्यालय के कार्य से लखनऊ आने पर रूक सके । उक्त पर होने वाला व्यय समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाए ।

डा0 आर0के0 मित्तल, ए0डी0जी0, आई0सी0ए0आर, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को अवशेष का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र आई0सी0ए0आर, भारत सरकार को उपलब्ध कराना यथासम्भव शीध्रसुनिश्चित करें ।

प्रस्ताव संख्या 1 माननीय सदस्यों द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 27.03.2011 के कार्यवृत्त के निम्न प्रस्तावों मे संशोधन का सुझाव दिया गया ।

प्रस्ताव संख्या 21 में श्री हरे नरायण शुक्ला, अपर निदेषक (कोषागार) द्वारा विधि विशेषज्ञ/सेवा निवृत्त जज को शासन से अनुमोदन प्राप्त करके रखने का सुझाव दिया गया था ।

प्रस्ताव संख्या 26(अ) में विशेष कार्याधिकारी के रूप में किसी अनुभवी व किसी भिज्ञ को रखने के प्रस्ताव पर श्री हरे नरायण शुक्ला, अपर निदेशक (कोषागार) द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति शासन से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त् की जाए ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय ने माननीय प्रबन्ध परिषद को आश्वस्त किया कि उपरोक्त दोनों नियुक्तियॉ शासन से अनुमोदन के उपरान्त् ही की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्यों द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 27.03.2011 के कार्यवृत्त की उपरोक्त दो संशोधनों के साथ पुष्टि की गई ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 18वी0 बैठक दिनांक 27.03.2011 प्रस्ताव संख्या 2 की अनुपालन आख्या पर पुनः चर्चा हुई जिसमे मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पत्र मे त्रुटि को सही करने के लिए अवगत कराया गया । जिसे 02 के अनुपालन आख्या स्तम्भ में टंकक त्रुटि को ठीक कर दिया है एवं पृष्ठ संख्या 06 के प्रस्ताव संख्या 15 पर एक्शन टेकन रिपोर्ट की भिन्नता के विषय में माननीय सदस्य द्वारा इंगित किया गया ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

माननीय सदस्यो द्वारा यह अवगत कराया गया कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उनको पहले पढा जाए ।

प्रस्ताव संख्याः 18 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव
अ–विभिन्न पदों पर की गयी अवैध नियुक्तियों की प्रस्तुत जॉच आख्या के आधार पर की गयी कार्यवाही ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर अपनी राय दी है जो इस प्रकार से है :–

श्री सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

इस प्रकरण मे प्रमुख सचिव द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी उन्होने कहा कि यह गलत है । 2005 से अब तक इस प्रकरण मे कार्यवाही क्यों नही की गयी है और अब तक आपने क्या किया है। इस प्रकरण मे कार्यवाही होनी चाहिए । जिन्होने ये कार्य किया है उन पर भी कार्यवाही की जाए और इन लोगों की सेवाऐं समाप्त कराने की कार्यवाही की जाए ।

श्री अरविन्द नारायण मिश्र
विशेष सचिव, वित्त
नामित द्वारा प्रमुख सचिव
वित्त

ये नियुक्तियॉ गलत हैं जिन्होने ये कार्य किया है उन पर कार्यवाही की जाए और इन लोगों की सेवाऐं समाप्त करने की कार्यवाही की जाए । श्री मिश्र के इन विचारों को प्रमुख सचिव वित्त सुश्री वृन्दा स्वरूप ने औपचारिक रूप से अपने पत्र संख्या ई–1–468/दस–2011 दिनांक 28.11.2011 द्वारा श्री अरविन्द नारायण मिश्र के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यक्त विचार से अपनी सहमति व्यक्त की गयी ।

डा0 वी0एम0 शुक्ला
उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ
नामित द्वारा प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा

यह गलत हुआ है इन नियुक्तियों को निरस्त करने की कार्यवाही की जाए । डा वी0एम0 शुक्ला के इन विचारों को सचिव उच्च शिक्षा श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने औपचारिक रूप से अपने पत्र संख्याः 2445/सत्तर–4–2011 दिनांक 30.11.2011 द्वारा डा0 वी0एम0 शुक्ला के उपरोक्त व्यक्त विचार की पुष्टि की ।

डा0 के0सी0 सिंह

यह प्रस्ताव पाकेट एजेण्डे में रखा गया है जिससे उन्हे तथ्यों की जानकारी नही हो सकी । प्रकरण तथ्यों सहित माननीय प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक मे रखा जाए और यह भी अवगत कराया जाए कि उस समय विद्वत परिषद और माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा क्या योग्यता निर्धारित की गयी थी । क्या आई0सी0ए0आर0 की शर्तो को माननीय प्रबन्ध परिषद एवं विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया था, से भी पूर्ण तथ्यों सहित अवगत कराया जाए ।

डा0 आर0के0 मित्तल

मै डा0 के0सी0 सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि ये जो एजेण्डा है इसके संलग्नको के अनुसार उस समय जो विज्ञापन 2003 मे इन नियुक्तियों को भरने के लिए आवेदन माँगा गया था क्या उसमे NET और Ph.D की अनिवार्यता का कहीं जिक नही था । अतः यह उपयुक्त होगा कि उस समय विश्वविद्यालय के एक्ट एण्ड स्टेटयूटस मे निर्धारित इन पदो के लिए योग्यता/अर्हता का विष्लेषण किया जाए तथा यदि किसी योग्यता मे शिथिलता बरती गयी है तो उन परिस्थितियों का आंकलन किया जाए । कृषि शिक्षा के स्तर को देखते हुए आई0सी0ए0आर0 द्वारा हमेशा NET की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है तथापि 2003 के इस विज्ञापन के अनुसार की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जाए । यदि किसी स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन मे शिथिलता प्रदान करने या किसी अन्य नियुक्तियो के लिए असंवैधानिक मापदण्डो का प्रयोग किया हो तो निश्चित ही उस कमेटी/व्यक्ति को दण्डित करने के विषय मे अग्रेत्तर कार्यवाही की जाए ।

श्री शिव शंकर राठी

जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर से ऐसा विज्ञापन जारी किया गया है उसका पूर्ण उल्लेख करते हुए उपरोक्त बिन्दुओ को एजेण्डे मे माननीय प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक मे लगभग 15 दिन पहले भेजा जाए । मुझे यह भी अवगत कराना है कि क्योंकि मै इस बैठक का नया सदस्य हुँ मुझे अभी संवैधानिक पावर की जानकारी नही है । जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ उन पर कार्यवाही करने के लिए शासन स्तर पर उसकी संस्तुति की जाए तथा जरूरी निर्णय लेने हो तो नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

डा0 एम0पी0 सिंह
अपर निदेशक कृषि
नामित द्वारा निदेशक कृषि

उस समय विश्वविद्यालय मे प्रत्येक पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गयी थी। यू0जी0सी0/आई0सी0ए0आर0 की शर्तो के शिथिलीकरण का अधिकार माननीय प्रबन्ध परिषद को था इसके बारे मे अवगत कराया जाए । जिन्होने इन पदों पर भर्ती की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और नियुक्तियों को निरस्त करने के सम्बन्ध मे नियमानुसार कार्यवाही की जाए । डा0 एम0पी0 सिंह, अपर कृषि निदेशक के इन विचारों को निदेशक कृषि डा0 मुकेश गौतम ने औपचारिक रूप से डा0 एम0पी0 सिंह के उपरोक्त व्यक्त विचार से अपनी सहमति व्यक्त की ।

श्री मनोज कुमार

यह महत्वपूर्ण पाकेट एजेण्डा था तथा इस पाकेट एजेण्डे के सम्पूर्ण तथ्य उपलब्ध नही थे । उपरोक्त नियुक्तियों के लिए सम्पूर्ण प्रर्याप्त तथ्यों सहित माननीय प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक मे रखा जाए तथा नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ पूर्व मे कोई कार्यवाही की गयी हो तो तथ्यों सहित एजेण्डे के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अगली बैठक मे प्रस्तुत किया जाए ।

कुलपति/अध्यक्ष

अध्यक्ष माननीय प्रबन्ध परिषद ने सरकारी सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमति प्रकट की ।

माननीय प्रबन्ध परिषद के उपरोक्त सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे सर्वसम्मति से निर्णय नही हो सका । माननीय 5 सदस्यों श्री सिराज हुसैन द्वारा दी गयी जॉच रिपोर्ट के क्रम में अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गयी राय के आधार पर सेवायें समाप्त करने हेतु विचार व्यक्त किये। यदपि 4 सदस्यों द्वारा नियुक्तियों को सही अथवा गलत के सम्बन्ध मे विचार व्यक्त न करते हुए माननीय प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक मे प्रस्तुत करने हेतु कहा गया । बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया गया ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव 18 ब डा0 एन0एस0 राना की प्राध्यापक पद पर की गयी नियुक्ति मांगे गये अनुभव के अभाव मे निरस्त करने योग्य है ।

माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा डा0 एन0एस0 राणा के प्रकरण मे गहन विचार विमर्श हुआ । डा0 एन0एस0 राना की प्राध्यापक के पद पर की गयी नियुक्ति को अवैध माना है और माननीय कुलपति जी द्वारा डा0 राना के प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की इच्छा व्यक्त की गई । प्रमुख सचिव कृषि द्वारा इस पर माननीय कुलपति जी को अग्रिम कार्यवाही करने के लिए कहा गया ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव 18 स विश्वविद्यालय मे नई नियुक्तियो के विज्ञापन के सम्बन्ध मे ।

सभी सदस्यों द्वारा योग्यता निर्धारण के सम्बन्ध मे शैक्षिक पदो के लिए योग्यता आई0सी0ए0आर / यू0जी0सी0 की योग्यता के अनुसार ही निर्धारित करने के लिए माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई और गैर शैक्षिक पदो के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गयी योग्यता को लागू करने पर सहमति बनी । संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान ने शासनादेश का हवाला देते हुए चाहा कि स्वीकृत पद भरने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाए ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव 18 द सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में रिक्त पदो के सम्बन्ध मे ।

विश्वविद्यालय मे रिक्त 10 शैक्षिक एवं 04 शिक्षणेत्तर के कुल 14 पद रिक्त है जिनकी शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करनें एवं भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त 14 पदों की अर्हता निर्धारित कर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 3 विश्वविद्यालय मे कार्यरत प्रक्षेत्र सहायको को 14 वर्ष सेवा उपरान्त् दिनांक 16.05.2008 से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वेतनमान रू0 5000–8000 स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे ।

शासन के संयुक्त सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्र सहायको के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 01.09.2011 को आख्या मांगी गई है । अतः आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर कार्यवाही की जाये । लैब तकनीशियनों के सम्बन्ध में भी शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये । माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रकरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 4 **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ पर कार्यरत शिक्षकों/समकक्षों को विदेशों में अर्न्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स/सिम्पोजियम में भाग लेने हेतु नियम एवं शर्तों के सम्बन्ध में ।**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में आई0सी0ए0आर0 के नियमों को विश्वविद्यालय मे लागू करने हेतु सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 5 **विश्वविद्यालय मे शिक्षक/शिक्षक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित Score Card अनुमोदित करने के सम्बन्ध में ।**

The BOM recommended the score card subject to the conditions that the score fulfill the ICAR/UGC recommendation.

क्रम संख्या 9 पर Member के लिए 0.5 marks निर्धारित किये गये तथा क्रम संख्या 13 मे g में 0.2 के स्थान पर 0.1 और 6 के स्थान पर अधिकतम 4 अंक निर्धारित किये गये ।
नोटः बिन्दु संख्या 2 को 3 व बिन्दु 3 को 2 कर दिया जाए ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 6 **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न विभागों में अधिनियम के अन्तर्गत नियमों/परिनियमों में दी गई व्यवस्थानुसार विभागाध्यक्ष का कार्य एवं दायित्व सम्पादित करने के सम्बन्ध मे ।**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया और यह कहा गया कि विश्वविद्यालय मे विभागाध्यक्ष के कार्य एवं दायित्व के निर्धारण के लिए के0वी0के0 मे कार्यरत व्यक्तियों के लिए प्रकरण आई0सी0ए0आर0 को भेज दिया जाए तत्पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जाए परन्तु कृषि ज्ञान केन्द्रों, शोध केन्द्रों तथा मुख्यालय पर वरिष्टतम को विभागाध्यक्ष का चार्ज दे दिया जाए ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 7 **विश्वविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों, परिसरवासियों एवं छात्रों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव ।**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया और यह कहा गया कि विश्वविद्यालय मे धन उपलब्धता एवं अपने संसाधनों के अनुसार ही इसका व्यय किया जाए ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 8 **Proposal to adopt UGC regulations for Sabbatical leave at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut (U.P.)**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जिसमे यू0जी0सी0 की संस्तुतियो को विष्वविद्यालय मे लागू किया जाए ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 9 **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव के सम्बन्ध मे सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया कि विश्वविद्यालय मे वित्तीय व्यवस्था निर्धारण के सम्बन्ध मे माननीय कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा संयुक्त रूप से नियमों के अनुसार कार्य किया जाए ।

(कार्यवाही– वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 10 **पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत 122 पदों में से शैक्षिक श्रेणी के 61 पदों के पुनः विभागवार विवरण के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिस पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या 11 **विश्वविद्यालय मे जो शुल्क छात्रों द्वारा लिया जायेगा उसमेसे 25 प्रतिशत की धनराशि छात्रों की सुविधा वर व्यय किये जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिस पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही– वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव संख्या 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 पर चर्चा हुई जिसमे माननीय सदस्य डा0 आर0के0 मित्तल द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं अन्य कोर्स शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित चार बिन्दुओं को संज्ञान मे लिया जाये :–

1 डेयर से अनुमोदन आवश्यक है ।
2 आई0सी0ए0आर0 द्वारा पाठ्यक्रम की संस्तुति ।
3 प्रस्ताव मे उपलब्ध संकाय को दिखाया जाये ।
4 Sustainability & Financial viability.

उक्त के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम प्रस्ताव को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेयर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तत्पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जाए ।

(कार्यवाही– अधिष्ठाता, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय)

अन्त मे सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीयों सदस्यो का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

2.12.2011

(आशाराम)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

02/12/2011

अनुमोदित
(अरविन्द कुमार बख्शी)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद